POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

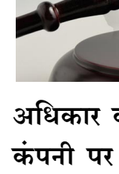

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

खबर है कि प्रदेश के बारां जिले के शाहबाद अस्पताल में सात माह के मासूम की इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। इसके बाद भी लापरवाही का आलम यह रहा कि मासूम के शव को कंधे पर रखकर परिजनों को छह किलोमीटर पैदल चलना पड़ा।

इधर बांसवाड़ा जिले में दो माह में हुई 90 नवजात बच्चों के मौत की जमीनी हकीकत भी काफी चौंकाने वाली है। जन्म के तुरंत बाद से लेकर 11 माह के भीतर मरने वाले बच्चों की राज्य में संख्या कितनी है, इस सच्चाई को दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद इस बात को लेकर अंधेरे में हैं। सरकार भी मानती है कि सही संख्या का पता नहीं है...।

गौरतलब है, नवजातों की मौत का कारण माताओं का कुपोषित होना माना जा रहा है। प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर जननी सुरक्षा योजना चल रही है। सुरक्षित प्रसव योजना के नाम पर भी प्रदेश में कई योजनाएं संचालित हैं। माताओं और बच्चों के कुपोषण को दूर करने की भी बहुत सी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद स्थिति इतनी विकट क्यों है?

प्रदेश के कई अस्पतालों में चिकित्सक तो दूर नर्स तक नहीं मिलती। कहीं संसाधनों का टोटा है तो कही नवजातों की देखरेख में लापरवाही सामने आती है। निःशुल्क दवा योजना भी कोरा झुनझुना बन कर रह गया है। गांवों के हालात तो ऐसे है कि प्रसूताओं और बच्चों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए परिजनों को कंधे पर लाद कर कई किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ती है।

क्या प्रधानमंत्री मोदी के स्वप्न 'नए भारत' की नींव ऐसे हालातों में पड़ेगी, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं?

घर बैठे करें ठगी की शिकायत

उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के दिन जल्द ही लदने वाले हैं। सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण बिल लाने की तैयारी में है। इस नए बिल में अमरीका के तर्ज पर एक ऐसी एजेंसी का गठन करने की योजना है जो देश के हर उपभोक्ता के अधिकार का ख्याल रखेगी। जरूरत पड़ने पर एजेंसी उपभोक्ता के साथ ठगी करने वाली कंपनी पर जुर्माने के साथ-साथ कंपनी को सामान बाजार से वापस करने का फरमान सुनाएगी। वर्तमान में उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए जो कानून है वह 1986 का है जो मौजूदा समय के लिए फिट नहीं है।

नए कानून में उपभोक्ता कोई भी शिकायत ऑनलाइन या फिर अपने स्थानीय उपभोक्ता अदालत में कर सकता है। इसमें ई-कॉमर्स भी शामिल है। नया कानून मैन्युफैक्चरर्स के अलावा उत्पाद का प्रचार करने वालों को भी जवाबदेह बनाएगा। ऐसे में अगर कोई गलत प्रचार करता है तो वह भी जिम्मेदार माना जाएगा। नया बिल का प्रारूप 2015 में तैयार किया गया था। इसके बाद इसे खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। उम्मीद है कि यह बिल लोकसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पास किया जा सकेगा।

दो इंच छोटा लहंगा देना, दिल्ली के शोरूम को पड़ा महंगा

दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने एक महिला की शादी में ऊंचा लहंगा सिलकर देने वाले एक बड़े फैशन डिजाइन स्टूडियो को न केवल लहंगे की कीमत के साथ 50 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया बल्कि पांच लाख रुपए राज्य के उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने की भी सजा दी है।

मामले की शुरुआत 2008 में हुई। महिला चांदनी चौक स्थित मशहूर शोरूम पर गई और अपनी शादी में पहनने के लिए मनपसंद लहंगा सिलने के लिए नाप दी। शादी के कुछ दिन पहले ट्रायल के लिए वह शोरूम गई तो लहंगे की लंबाई दो इंच कम निकली। साथ ही उसकी गोलाई भी सही नहीं थी। शोरूम संचालक ने कमियां दूर कर तय तारीख से पहले लहंगा पहुंचाने का वादा किया। लेकिन लहंगा शादी के दिन पहुंचा और उसमें दोनों कमियां ज्यों की त्यों थी।

शादी में उसे बेमन वह लहंगा पहनना पड़ा और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शादी के बाद शोरूम संचालक ने लहंगे में दूसरा कपड़ा जोड़ कर उसे बेमेल कर दिया जो पहनने लायक भी नहीं रहा। हारकर महिला ने दिल्ली राज्य आयोग में परिवाद दायर किया। मुकदमा निपटने में आठ साल का लंबा समय लगा। लेकिन खुशी है, इस जागरूक महिला ने एक बड़ी जंग जीत ली।

सड़क निर्माण में पीछे, सड़क हादसों में आगे हैं हम

हमारा देश विश्व में सड़क निर्माण और वाहन पंजीयन में काफी पिछड़ा है लेकिन सड़क हादसों और इसमें मरने वालों व घायलों की संख्या में हम कई देशों से ऊपर है। इसमें राजस्थान के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा पर बेहद गंभीरता व प्राथमिकता से काम करने की जरूरत है।

'कट्स' की ओर से जयपुर में आयोजित सेमिनार में यह तथ्य खासतौर से उभर कर सामने आया। इस सेमिनार में दौसा सांसद हरीश चंद्र मीणा ने कहा कि सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया और आम लोग इस मसले को प्राथमिकता से लें। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों में बजट की कमी होती है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

कार्यशाला में बताया गया कि पिछले दस साल में जयपुर में 4892 लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई। वहीं इस अवधि में पूरे राजस्थान में सड़क हादसों से 94 हजार 489 लोग काल का ग्रास बने। हादसों के लिहाज से प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में डेढ़ लाख लोगों ने वर्ष 2016 के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाई।

सेमिनार में कट्स निदेशक जॉर्ज चेरियन ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2017 की जानकारी दी। मधुसूदन शर्मा व नलिन सिन्हा ने सड़क हादसों में बढ़ती बच्चों की मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि लोकसभा में विधेयक पारित हो चुका है और राज्य सभा में पारित होने की उम्मीद है।

दूषित पानी पी रहे हैं हम

प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले डेढ़ साल में लिए गए पानी के करीब सवा लाख नमूनों में से करीब 15 फीसदी नमूने फेल हो गए हैं। टोंक और पाली जिले की हालत तो इतनी खतरनाक है कि यहां पर करीब 60 फीसदी तक नमूने फेल हैं। यहां पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक पाई गई है।

प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पानी पीने योग्य नहीं है। इससे जलजनित बीमारियां फैल रही हैं। इनमें डायरिया, उल्टी-दस्त, हैपेटाइटिस, पीलीया जैसी बीमारियों के मरीज ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में नमूने फेल होने के बावजूद सिवाय खानापूर्ति के कुछ नहीं हो रहा।

किसानों का 50 हजार तक कर्ज माफ

प्रदेशभर के किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ किए जा सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी अन्य राज्यों में किसान कर्ज माफी का अध्ययन कर एक माह में रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कर्ज माफी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार व आंदोलन कर रहे किसानों के बीच यह सहमति बनी है।

यह जानकारी कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने देते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार पर तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान में आजादी के बाद पहली बार किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।

गांवों में नहीं हो रही वार्ड सभाएं

पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास को तय करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली वार्ड सभाएं लुप्त होती जा रही हैं। पिछले दो साल से महज आठ फीसदी वार्ड सभाएं भी नहीं हुईं। कई जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी वार्ड सभा का आयोजन नहीं हुआ। सीकर में भी एक फीसदी भी वार्ड सभाएं नहीं हुई।

प्रदेश में 9875 ग्राम पंचायतों में एक लाख सात हजार 707 वार्ड हैं। जबकि पूरे प्रदेश में एक साल में दो वार्ड सभा के हिसाब से दो साल में 4 लाख 30 हजार 828 सभाएं होनी चाहिए। पत्रिका के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार दो साल में पूरे प्रदेश में मात्र 32 हजार 359 वार्ड सभाएं आयोजित हुई हैं।

शिक्षकों की पहल लाई रंग

बांसवाड़ा जिले की गनोड़ तहसील के सिसथिया गांव के शिक्षकों ने ठाना कि गांव को सामाजिक बुराइयों और कुप्रथाओं की बेड़ियों से मुक्त कराना है। उनकी इस पहल पर सारा गांव एक हो गया। प्रयास रंग लाए। गांव में अब मौताणे की मांग नहीं उठती। शराब से कोई परिवार बर्बाद नहीं होता। दहेज का दानव भी अब किसी बेटी को नहीं सताता।

गांव में शादी बैंडबाजे की जगह लोक वाद्यों की खुशी के बीच होती है। गांव में शिक्षा का उजाला फैला है। शिक्षकों और गांव के युवाओं की पहल से यह गांव एक मिसाल बन कर उभरा है। कितना अच्छा हो यदि यह मिसाल अन्य गांवों में भी रंग जमाए।

विधायक कोष से बना भैंसों का तबेला

अलवर जिले में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक की ओर से विधायक कोष के पैसे से मावड़ी गांव निवासी रिश्तेदार बालकिशन जाटव के घर के चारों तरफ व भैंसों के तबेले तक में इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगवा दी गईं। इसमें करीब तीन लाख रुपए खर्च हुआ।

आनन-फानन में केवल दो माह में काम पूरा कर ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया। विधायक कोष की राशि के दुरुपयोग का यह खुलासा मीडिया ने किया था। अब प्रदेश के लोकायुक्त न्यायाधिपति एस.एस. कोठारी ने मामले पर प्रसंज्ञान लेकर जिला कलेक्टर को तलब किया है।

कुपोषण पर अंकुश लगाना जरूरी

नीति आयोग ने कुपोषण को देश के विकास में रोड़ा मानते हुए कहा है कि आर्थिक विकास के लिए पोषण सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। आयोग ने कुपोषण मुक्त भारत के लिए 'राष्ट्रीय पोषण रणनीति' पेश की है।

इसमें इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के गठन समेत व्यापक प्रस्ताव रखे गए हैं। रणनीति में दीर्घकालीन नजरिए से 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

'शिक्षा का अधिकार'

भारत सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार' अर्थात बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया था। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी बालिकाएं इससे वंचित है। लड़की को शिक्षित करने का मतलब है पूरे परिवार को शिक्षित करना। शिक्षा महिला को उसके कर्तव्यों और अधिकारों का आभास कराती है।

शिक्षित होने पर वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है। इससे समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिला शिक्षा के ऐसे कई असीमित फायदे हैं। हमें अपनी बच्चियों की शिक्षा में कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए।

- राघवेन्द्र सिंह, मसूदा (अजमेर)

इफको देगा जैविक खाद को बढ़ावा

खेती में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

इसे देखते हुए उर्वरक उत्पादन और विपणन करने वाली सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको ने रासायनिक उर्वरकों पर नया निवेश बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी अब ऐसे शोध पर ध्यान देगी जिससे फसलों का उत्पादन बढ़े और प्राकृतिक संतुलन कायम रहे।

यह जानकारी इफकों के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी ने देते हुए कहा कि अब इफको जैविक उर्वरकों के साथ ही नैनो फर्टिलाइजर और जल में घुलनशील उर्वरकों के उत्पादन पर ज्यादा जोर देगा।

सिंचाई व भंडारण को प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही है। सबसे पहले सिंचाई और भंडारण व्यवस्था को बेहतर करने के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए बजट को बढ़ाया गया है।

उन्होंने बताया कि कृषि बाजार में किए जा रहे सुधारों से आढ़तियों का दबदबा खत्म होगा और किसानों को फसल की वाजिब कीमत मिल सकेगी। हमारा प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन पर खास ध्यान है। इसके साथ ही बागवानी, पशु पालन जैसे कृषि से जुड़े कई क्षेत्रों पर भी जोर दिया जा रहा है।

पेंशन योजनाओं में आएगा बदलाव

सरकार सामाजिक पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। सरकार जरूरतमदों को दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आदि में इजाफा करेगी।

बदलाव के बाद सरकार को इसके लिए करीब 22 हजार करोड़ रुपए का अलग से फंड जुटाना पड़ेगा। इसके लिए जीएसटी से प्राप्त राशि में से फंड बनाने के साथ ही फंडिंग में भी बदलाव करने पर विचार चल रहा है। केन्द्र सरकार सारा खर्च खुद उठाने के बजाय 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार से जुटा सकती है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर